

# कार्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

पत्रांक : ...०९/१६...../ चार (भ० नियंत्रण)/ मान आरक्षण जोन डी/ दिनांक: ११-०७-१६

श्री/श्रीमती/मैसर्स गोदे ग्लोबल विन्ड वेल्डिंग द्वारा

श्री देवेन्द्र शर्मा ५० श्री रघुनाथ महाय दोगय

नि० A-६५ गुम्मान कपुरा ओदी नगर गाजियाबाद/

आपके पत्र दिनांक २९-०५-१६ मानचित्र सं० ०९/१६ के संदर्भ में आपके

प्रस्तावित तलापट भवन निर्माण को मौहल्ला/कालोनी/ग्राम दत्तवली गेमुपुर मेरठ

के खसरा सं० १२८० भूखण्ड/भवन सं० १२८२/१० १२५५ नि० ६०५५ डा० ३१ की प्रत निम्नलिखित

शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ०प्र० नगर नियोजन एवम् विकास अधिनियम की धारा १५ के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

१. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
२. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
३. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा २६ के अधीन दण्डनीय है।
४. उ०प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा ३५ के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
५. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहा प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
६. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर प्रदर्शित रखा जायेगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
७. आप भवन उप-नियमों के नियम २१ में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
८. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
९. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप-नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
- प्र.१० प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपायी) करेंगे।
- प्र.११ उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा २६ के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक:- स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि:- अवर अभियन्ता डो० जी० ए० डी को प्रेषित।

प्रभारी मानचित्र

जोन (डी)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ